सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 356/2018 दायर दिनाँक 01.11.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भँवरीदेवी पत्नी पीथाराम, उम्र—39साल, जाति—जाट, निवासी—पुरोहितों का बास, पोस्ट—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, डीडवाना, वृत्त वृत्तीय मुकाम—सीकर, जिला—सीकर, राजस्थान, 3. भू—प्रबन्ध अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग, सीकर, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।

दिनाँक 22.02.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद तेजपुरा में खसरा नम्बर 807/17 रकबा 03.05 बीघा भूमि में से रकबा 01.00 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनाँक 24.05.2011 के वादी के खरीदसुदा व कब्जासुदा भूमि है। उक्त विक्रय के आधार पर वादी का नाम उक्त भूमि में बतौर खातेदार दर्ज हुआ। तत्पश्चात् खसरा नम्बर 807/17 रकबा 03.05 बीघा में से रकबा 01.00 बीघा का बन्टवारा होकर उक्त भूमि का नया खसरा नम्बर 808/807 रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तथा वर्तमान खसरा नम्बर 42/178 क्षेत्रफल रकबा 0.1600 हैक्टेयर है। नकल पुरनी व वर्तमान खतौनी पेश है।

उपर्युक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 42/178 क्षेत्रफल रकबा 0.1600 हैक्टेयर के उपयोग—उपभोग हेतु मौके पर वाद संलग्न नजरीनक्शा अनसूची "अ" माफिक रास्ता मौके पर पूर्व समय से चला आ रहा है व नक्शा ट्रेश में दर्ज है तथा वादी की उक्त एक बीघा भूमि में इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन प्रतिवादी पक्ष व उनके कर्मचारियों ने मौके की यथास्थिति के विपरीत उक्त वादीनी की एक बीघा जायगा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वर्णित मार्क ए जायगा को अन्य स्थान मार्क बी पर दर्शा करके गलत रूप से ट्रेश नक्शा जारी किया है तथा नये ट्रेश नक्श में वर्णित वादी का खसरा मौके पर कतई स्थित न होकर पुराने ट्रेश नक्शा अनुसार मौके पर मौजूद है जिसकी जानकारी वादी को कभी नही रही है।

प्रार्थना वादी है कि,

बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शाट्रेश "अ" के अनुसार वादी का खेत खसरा नम्बर 42 / 178 रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके सरहद तेजपुरा में खेत खसरा नम्बर 808 / 807 की जगह 42 / 178 घोषित किया जाकर ट्रेश नक्शा "अ" के अनुसार ही वादी की भूमि व रास्ता घोषित किया जावे व ट्रेश नक्शा "बी" को अपास्त किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट में, वादी की वादग्रस्त भूमि जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय की है का नामान्तरकण दर्ज होकर नया खसरा नम्बर 808 / 807 हुए जिसके भू–प्रबन्ध विभाग में नये खसरा नम्बर 42 / 178 रकबा 0.1600 हैक्टेयर है। रिपोर्ट में लिखित है कि, खसरा नम्बर 808 / 807 में से रास्ते का अंकन नहीं था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने नये खसरा नम्बर 42 / 178 में गलत स्थान पर अंकन करने से वादी के खेत में रास्ता दर्ज होता है जो रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं है। वर्तमान जो रास्ता गुजरता है वह रास्ता वादी के उक्त खसरा नम्बर से गुजरता है जो अनुसूची अ में दर्शित है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस के दौरान कथन वादी जरिये विद्वान वकील है कि, वादग्रस्त भूमि में से जो रास्ता मौके पर बहता है वह नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित है जो सही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज रास्ता जो कि अनुसूची "ब" में दर्शित है वह सही नहीं है इसलिए इसके स्थान पर अनुसूची "अ" में दर्शित रास्ता को ही रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तहसीलदार डीडवाना ने अपने रिपोर्ट में, निवेदन किया है कि, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वाद संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची "ब" अनुसार रास्ता दर्ज है मगर मौके पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार ही रास्ता बहता है तथा अनुसूची "ब" में दर्शित रास्ते की भूमि के स्थान पर अगर अनुसूची "अ" में दर्शित माफिक भूमि को रास्ते की भूमि कायम की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 356 / 2018
दायर दिनाँक 01.11.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भँवरीदेवी बनाम् तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

जाती है तो किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा। लिहाजा, वादग्रस्त भूमि में अनुसूची ''ब'' में दर्शित रास्ते की भूमि के स्थान पर अनुसूची ''अ'' में दर्शित भूमि को रास्ते की भूमि कायम किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है:–

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट क्रमांकः 138 दिनाँक 17.01.2019 के परिपेक्ष में– नजरीनक्शा अनुसूची ''ब'' में दर्शित भूमि के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'' में दर्शित भूमि अनुसार को रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट क्रमांकः 138 दिनाँक 17.01.2019 व नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री के अभिन्न भाग रहेंगे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **356/2018** दायर दिनाँक **01.11.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भँवरीदेवी पत्नी पीथाराम, उम्र—39साल, जाति—जाट, निवासी—पुरोहितों का बास, पोस्ट—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, डीडवाना, वृत्त वृत्तीय मुकाम—सीकर, जिला—सीकर, राजस्थान, 3. भू—प्रबन्ध अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग, सीकर, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **22.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट क्रमांकः 138 दिनाँक 17.01.2019 के परिपेक्ष में— नजरीनक्शा अनुसूची "ब" में दर्शित भूमि के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि अनुसार को रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट क्रमांकः 138 दिनाँक 17.01.2019 व नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री के अभिन्न भाग रहेंगे।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.............
.......—...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—356—2018 / रीडर / 2019 / 203 दिनाँक 26/2/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. भँवरीदेवी पत्नी पीथाराम, उम्र—39साल, जाति—जाट, निवासी—पुरोहितों का बास, पोस्ट—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, डीडवाना, वृत्त वृत्तीय मुकाम—सीकर, जिला—सीकर, राजस्थान, 3. भू—प्रबन्ध अधिकारी सैटलमेन्ट विभाग, सीकर, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner